न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

---

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 49/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. दौलतराम

2. बाबूलाल पुत्रान भवानी सहाय जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:–– अपीलांट प्रतिवादी

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र भवानी सहाय जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:––– असल रेस्पो0 वादी

2. रामअवतार
3. ब्रजमोहन
4. राजेन्द्र प्रसाद
5. सतीश कुमार
6. हितेश कुमार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर



Scanned by CamScanner

7. मुकेश कुमार
8. अनिल कुमार पुत्रान स्व0 रामकिशोर
9. सरती देवी बेवाह रामकिशोर जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
10. कौशल्या देवी पुत्री रामकिशोर पत्नि हनुमान प्रसाद निवासी मैलानी जिला लखीमपुर खीरी यू0 पी0
11. राजबाला पुत्री रामकिशोर पत्पि राजेन्द्र प्रसाद जाति महाजन निवासी नजदीक नगरपालिका बस स्टैण्ड बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी,
तिजारा दिनांक 13.4.2011

---

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री चन्द्रमोहन यादव
2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री प्रेमकुमार शर्मा

निर्णय दिनांक 9.1.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/06 में पारित निर्णय दिनांक 13.4.2011 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा तकासमा का उक्त वाद आंशिक रूप से डिकी किया गया है ।

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में तकासमा का वाद इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी संयुक्त खाते की आराजी है, परन्तु प्रतिवादीगण शामलात में काश्त करने में मजाहमत करते हैं, इसलिये तकासमा किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद आंशिक रूप से प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने सर्वप्रथम अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 पर बहस करते हुये बताया कि रेस्पो0 वादी द्वारा वाद तकसीम जिन आराजी खसरा नम्बरान की बाबत दायर किया गया था, उसमें खसरा नम्बर 264 रकबा 3 वाके ग्राम दागनहेडी तहसील तिजारा शामिल है । इस खसरा नम्बर की बाबत माननीय राजस्व मण्डल तक प्रकरण दायर हुआ है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 26.6.85 द्वारा प्रकरण जिला कलेक्टर, अलवर को रिमांड किया है और अब जिला कलेक्टर, अलवर के यहां विचाराधीन है । माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 26.6.85 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । यह दस्तावेज अहम और न्याय निर्णयन में सहायक है । अतः इसे साक्ष्य में ग्रहण किया जावे । इसके पश्चात विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 पर बहस करते हुये बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 3 बीघा वाद पत्र में शामिल है । इस खसरा नम्बर की बाबत माननीय राजस्व मण्डल तक मुकदमा चला है और उन्होंने निर्णय दिनांक 26.6.85 द्वारा प्रकरण जिला कलेक्टर, अलवर को रिमांड किया है । ये तथ्य सहवन से वादोत्तर में दर्ज नहीं हुये थे । इसलिये इस बाबत संशोधन की अनुमति दी जावे ।

4. इसके पश्चात विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के सम्बन्ध में तर्क दिये कि पक्षकारान आपस में सगे भाई हैं, जिनके मध्य पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो चुका है । ऐसी स्थिति में पुनः बटवारा की आवश्यकता नहीं है । हम किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करते हैं । तहत न्यायालय ने हमारी मौखिक साक्ष्यों को नजरअन्दाज कर दिया गया है । आराजी खसरा नम्बर 264 की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण ने ईश्वरी प्रसाद व उनके वारिसान के खिलाफ उपखंड अधिकारी, तिजारा के यहां वाद पेश किया हुआ है । इस नम्बर की बाबत माननीय राजस्व मण्डल तक मुकदमा पेश हुआ है, जो रिमांड होकर जिला कलेक्टर, अलवर के यहां विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में इस खसरा नम्बर की बाबत तकासमा नहीं करना चाहिये था, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

Scanned by CamScanner

5. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.6.85 इस प्रकरण से संबंधित नहीं है । मौजूदा प्रकरण एवं माननीय राजस्व मण्डल में पेश हुआ मुकदमा अलग अलग है । मौजूदा प्रकरण तकासमा का है तथा माननीय राजस्व मण्डल का प्रकरण आवंटन से संबंधित था । ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.6.85 की प्रमाणित प्रति सुसंगत दस्तावेज नहीं है और ना ही न्याय निर्णयन में सहायक है । जब यह दस्तावेज न्याय निर्णयन में सहायक ही नहीं है तो फिर अभिवचन में संशोधन की क्या आवश्यकता है । अतः निवेदन है कि दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की है । ये लोग हमारे कब्जे काश्त में मजाहमत करते थे, इसलिये हमने तकासमा करवाया है । प्रकरण में अभी प्रारम्भिक डिक्री पारित हुई है । अभी कुर्रे कायमी रिपोर्ट आनी है और उसके बाद पक्षकारान की आपत्तियां ली जानी है । अपीलांट के जो भी ऐतराज है, तहत न्यायालय में पेश करें । अपील पेश करने का उसे कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम प्रार्थना पत्रों अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 पर गौर किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के साथ माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.6.85 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, जिसका अवलोकन किया तो पाया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में भी मुकदमे चले थे और प्रकरण जिला कलेक्टर, अलवर को प्रतिप्रेषित किया गया है । यह दस्तावेज न्याय निर्णयन में सहायक प्रतीत होता है । इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाता है । प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 में प्रार्थी अपीलांट ने निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 264 की बाबत माननीय राजस्व मण्डल तक मुकदमा चला है और प्रकरण जिला कलेक्टर, अलवर को रिमांड हुआ है । सहवन से इस आशय का अभिवचन वादोत्तर में रह गया है । आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 में प्रावधान किया गया है कि अगर वाद की विषयवस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो तो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दे देनी चाहिये । प्रार्थी अपीलांट न्यायालय के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता है कि आराजी खसरा नम्बर 264 की बाबत माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तक मुकदमा चला है, जो जिला कलेक्टर, अलवर को रिमांड हुआ है और वर्तमान में जिला कलेक्टर, अलवर के यहां विचाराधीन है । प्रार्थी अपीलांट के इस संशोधन से वाद विषयवस्तु पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता नजर नहीं आता है । इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाता है ।

Scanned by CamScanner

7. चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.6.85 तहत न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था और ना ही इस आशय का वादोत्तर ही पेश किया गया था । ऐसी स्थिति में इस निर्णय के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया गया था । साथ ही अपीलांटस का यह भी कथन है कि पक्षकारान आपस में सगे भाई है, आपस में कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की मजाहमत नहीं की जा रही है, आराजी का पूर्व में बाहमी बंटवारा हो चुका है । इन सब तथ्यों पर जांच की आवश्यकता है । अतः पक्षकारान को पुनः सुनकर एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.6.85 को ध्यान में रखकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.4.2011 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रतिवादीगण अपीलांटस से पुनः संशोधित जवाब दावा लेकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.6.85 को ध्यान में रखकर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 27/2/17 को उपस्थित हों ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति के साथ अदालत हाजा की पत्रावली में संलग्न माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.6.85 की फोटो प्रति तहत न्यायालय को भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner